न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी– श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:–270 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
धन्नाराम पुत्र श्री सोनाराम जाति जाट, निवासी धुन्धाड़ियां तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		श्रीमान् तहसीलदार ओसियां

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :– सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांक:– 30/10/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:– प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 04 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 21 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 115 रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा ग्राम धुनाड़िया तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश प्रार्थी का नाम बुधाराम पुत्र श्री सोनाराम दर्ज कर दिया जो गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम धन्नाराम पुत्र श्री सोनाराम है तथा प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि में नाम धन्नाराम दर्ज है तथा ग्राम धुन्धाड़ा की भूमि के राजस्व रेकर्ड भी नाम धनाराम पुत्र सोनाराम दर्ज है। मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूलवश ग्राम धुनाड़िया की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बुधाराम पुत्र सोनाराम दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी उसी अनुसार दर्ज है। जो एक सदभाविक भूल [illegible] को लेकर प्रार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा [illegible] व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूप[illegible] अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बैंक ऋण [illegible] का सामना करना [illegible] है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से नि[illegible]न हैं कि प्रार्थी का प्रा[illegible]त्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 04 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 21 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 115 रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा ग्राम धुनाड़िया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

तहसील ओसियां में प्रार्थी का नाम बुधाराम पुत्र सोनाराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम धन्नाराम पुत्र सोनाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 04 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 21 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 115 रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा ग्राम धुनाड़िया तहसील ओसियां में प्रार्थी का नाम बुधाराम पुत्र सोनाराम दर्ज के स्थान पर धन्नाराम पुत्र सोनाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 30/10/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner